

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

समाहर्ता या समुचित सरकार

—:प्रारंभिक अधिसूचना:—

(अधिनियम-30/2013 की धारा-11(1) के अधीन)

अधिसूचना संख्या 755/भू अ०

दिनांक : 30/7/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-मिश्राडीह, थाना-सारठ, थाना सं०-223, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा चितरा (ठाढ़ी) से मिश्राडीह (सारठ) भाया विरमाटी पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-मिश्राडीह, थाना-सारठ, थाना सं०-223, अंचल-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.07 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क.स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3	240	रैयती	धानी-3	0.02	मुर्ती देवी, पति-स्व० लालधारी पंडित वो गिरधारी पंडित, पे०-गोपाल पंडित वो प्रेम पंडित वो विश्व नाथ पंडित पे०-कोदो पंडित अंश समान सा० देह।	सारठ नं०- 132	बगद हा नं०- 449	अर्जि त रकवा का अंश	अर्जि त रकवा का अंश
2	3	32	रैयती	बाड़ी-1	0.06	तथैव।				
3	6	316/4 08	रैयती	बाड़ी-2	0.03	पलटन पंडित, पे०-भातु पंडित सा० देह।				
4	7	404	रैयती	बाड़ी-2	0.07	भीखो पंडित माता स्व० गंगीया देवी सा० देह वो दासो पंडित वो जगरनाथ पंडित पे०-बुधन पंडित वो बन्धु पंडित वल्द चमन पंडित वो नमन पंडित पे०-पोचु पंडित (ज०रै०)				
5	8	70	रैयती	बाड़ी-1	0.005	गोवर्धन शाह वल्द किशुन शाह (ज०रै०)				
6	10	111	रैयती	धानी-3	0.005	गनपत रवानी पे०-लालु रमानी वो माला देवी पति-स्व० अरुण रवानी वो मोहर रवानी (ज०रै०)				
7	10	112	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव				
8	11	65	रैयती	मकान में सहन	0.01	चुनीलाल माड़वारी वो रामेश्वर माड़वारी वो उकार मल माड़वारी पे० हलुमान माड़वारी (ज०रै०)				
9	13	168	रैयती	धानी-3	0.005	टोपी पंडित वल्द डोमन पंडित वो पुनु पंडित वो मेवा पंडित पे०- छोटु पंडित वो उदी पंडित वल्द गीरधारी पंडित (ज० रै)				
10	13	2	रैयती	धानी-3	0.01	पुनु पंडित पे०-छोटु पंडित (ज०रै)				
11	14	241	रैयती	बाड़ी-2	0.005	फनी साह वो मदन साह वो किशोरी साह पे०-ठाकुर साह वो प्रकाश साह वो बहादुर साह पे०-गुलाब साह अंश समान सा० देह				

12	38	37/41	रैयती	बाड़ी-1	0.01	तथैव।				
13	15	316	रैयती	बाड़ी-2	0.22	भगवती देवी, पति-स्व० माथुर पंडित वो टेटु पंडित पे०-हुरो पंडित वो दुखनी देव्या, पति-स्व० कुमकुम पंडित वो संतोषी पंडित वो वालो पंडित वो जालो पंडित पे०-परान पंडित वो दुखी पंडित वल्द शंकर पंडित (ज०रै)				
14	16	114	रैयती	धानी-3	0.04	आन्नद महतो वो सारथी देवी माता श्रीपती महतवाईन वो शंतु महतो वो सुरेश महतो पे०-गंगा महतो वो जगरनाथ महतो पे०-नागो महतो वो मंटु महतो वो नरेश महतो वो अनुज महतो पे०-भोला महतो अंश समान सा० देह।				
15	16	192	रैयती	धानी-2	0.09	सरस्वती देवी, पति-स्व० गोविन्द महतो वो विनोद महतो वो भुवनेश्वर महतो पे०-हरि महतो अंश समान सा० देह।				
16	17	113	रैयती	धानी-3	0.03	आनन्द (चौधरी) महतो वो सारथी देवी माता-स्व० श्रीपती महतवाईन वो शंतु महतो वो सुरेश महतो पे०-गंगा महतो वो जगरनाथ महतो पे०-नागो महतो वो मंटु महतो वो नरेश महतो वो अनुज महतो पे०-भोला महतो अंश समान सा० देह।				
17	17	189	रैयती	धानी-3	0.02	तथैव।				
18	17	190	रैयती	धानी-3	0.02	सरस्वती देवी पति-स्व० गोविन्द महतो वो विनोद महतो वो भुवनेश्वर महतो, पे०-हरि महतो अंश समान सा० देह।				
19	17	167	रैयती	धानी-3	0.01	अशोक महतो वो सुबल महतो वो मदन महतो पे०-खुदु महतो वो आनन्द महतो वो सारथी देवी माता स्व० श्रीपती महतवाईन वो शंतु महतो वो सुरेश महतो पे० गंगा महतो वो जगरनाथ महतो पे०-नागो महतो वो मंटु महतो वो नरेश महतो वो अनुज महतो पे०-भोला महतो अंश समान सा० देह				
20	26	84	रैयती	बाड़ी-1	0.07	सीदाम महतो वो गोडलू महतो, पे०-पांडु महतो वो लट्टू महतो पे०-नेपाल महतो वो सरजु महतो पे० बरजु महतो अंश समान सा० देह।				
21	26	85	रैयती	धानी-3	0.01	तथैव।				
22	26	104	रैयती	धानी-3	0.10	लाटु महतो (पोता ज० रै०)				
23	26	191	रैयती	धानी-3	0.015	तथैव।				
24	27	171	रैयती	बाड़ी-2	0.01	कारु देव्या पति-स्व० राम मिर्धा वो भीम मिर्धा पे० बेजो मिर्धा वो दुर्जन मिर्धा वो घिरन मिर्धा वो विरन मिर्धा वो प्रीतम मिर्धा पे० मंगल मिर्धा वो पंचम मिर्धा पे० नूनलाल मिर्धा अंश समान सा० देह।				
25	28/4	33	बसोड़ी	मकान में सहन	0.005	काली पंडित वल्द तुलसी पंडित (ज० रै०)				

26	28 /5	69	बसोड़ी	मकान में सहन	0.01	रामेश्वर साह वो श्रीराम साह वो जयदेव साह वो प्रदीप साह पे० दुखो साह वो सीता राम साह वो राम लोचन साह पे० शिव प्र० साह वो अनन्त साह वो राज किशोर साह पे० शिवपुजन साह वो रामजीवन साह वो निरंजन साह वो छोटु साह पे० सहदेव साह वो किरनी साह पे० दर्शन साह अंश समान सा० देह।
27	28 /5	74	बसोड़ी	मकान में सहन	0.005	तथैव।
28	28 /6	48	बसोड़ी	बाड़ी-1	0.025	पलटन पंडित पे० भातु पंडित सा० देह।
29	28 /6	52	बसोड़ी	बाड़ी-1	0.035	तथैव।
30	28 /8	47	बसोड़ी	मकान	0.03	दुखनी देवी पति-गणेश पंडित वो प्रह्लाद पंडित वो टहलू पंडित वो नारायण पंडित वो अरूण पंडित पे०शुकदेव पंडित वो भोला पंडित वो सत्यनारायण पंडित पे० नेमन पंडित वो सुखिया देवी पति-कामेश्वर पंडित वो गुलाब पंडित पे० हुरो पंडित वो भीखो पंडित माता गंगीया देवी वो राम किशोर पंडित वो शंकर पंडित वो मंगल पंडित वो सोहन पंडित पे०वासुदेव पंडित अंश समान सा० देह।
31	28 /1 1	63	बसोड़ी	मकान	0.02	पलटन पंडित पे० भातु पंडित सा० देह
32	28 /1 3	35	बसोड़ी	मकान	0.01	रामगोविन्द साह बगौरह (ज० रै०)
33	28 /1 4	37	बसोड़ी	बाड़ी-1	0.02	रामचरीत साह वल्द वधु साह (ज० रै०)
34	28 /1 6	76	बसोड़ी	मकान में सहन	0.005	लालजी साह वल्द शामलाल साह वो छटु साह वल्द काली साह वो कोदो साह वो महावीर साह पे० शिबु साह सा० देह। (ज०रै०)
35		68			0.01	मुस्तवाहा
36		43			0.01	मुस्तवाहा
कुल रकवा-					1.07	

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि

खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

23/7/2020

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 753 भू अ०, देवघर, दिनांक

30/7/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी

23/7/2020

अपर समाहर्ता
देवघर

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।